For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
Shop at : AMAZON / FLIPKART

पूजा

100% TO THE POINT

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गये प्रश्नों पर आधारित

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

वस्तुनिष्ठ प्रश्न
व्याख्यात्मक उत्तर सहित

-ऋतेश कुमार सिंह

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

IAS, UPPCS, BPSC, RAS, MPPSC, UKPCS, UPSSSC
एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, लोअर सबोर्डिनेट,
पुलिस (एस.आई. व कांस्टेबल),
रेलवे, समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, S.S.C., राजस्व विभाग,
बी.एस.एफ, एस.एस.बी., बीएड., टी.ई.टी., अध्यापक
भर्ती आदि परीक्षाओं हेतु उपयोगी।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

पूजा Puja ®

100% TO THE POINT

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गये प्रश्नों पर आधारित

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्यात्मक उत्तर सहित

-ऋतेश कुमार सिंह

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

IAS, UPPCS, BPSC, RAS, MPPSC, UKPCS, UPSSSC
एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, लोअर सबोर्डिनेट,
पुलिस (एस.आई. व कांस्टेबल),
रेलवे, समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, S.S.C., राजस्व विभाग,
बी.एस.एफ, एस.एस.बी., बीएड., टी.ई.टी., अध्यापक
भर्ती आदि परीक्षाओं हेतु उपयोगी।

NP
नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा–282003
दूरभाष : (0562) 2527212, 7002054055
E.Mail : navjeevanprinters@gmail.com

like us for current updates & GK
facebook.com\pujabooks

मूल्य : ₹ 100·00

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

IAS | PCS | UGC | NDA | CDS
SSC | B.ED. | BANK | RAILWAY

एवं अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी

NCERT व CSAT पैटर्न पर आधारित

सामान्य ज्ञान
GENERAL KNOWLEDGE

मूल्य ₹ 250

पृष्ठ संख्या – 800

No.

पूर्णतः रंगीन संस्करण

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित

नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा–282003
दूरभाष : (0562) 2527212, 7002054055
E.Mail : navjeevanprinters@gmail.com

प्रकाशक : राजीव जैन, नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,
कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर), अस्पताल मार्ग, आगरा–3
मुद्रक : पार्श्वनाथ प्रिन्टर्स, आगरा

© इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का पूर्ण अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को या इसके किसी भाग को प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित करना वर्जित है।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी त्रुटि कि लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

विषय-सूची

❍ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 4
2. भारत का संवैधानिक विकास 9
3. भारतीय संविधान सभा 12
4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका 15
5. भारतीय संविधान के भाग 16
6. राज्य पुनर्गठन आयोग 17
7. भारतीय नागरिकता (भाग-2, अनुच्छेद-5 से 11) 18
8. मौलिक अधिकार (भाग-3, अनुच्छेद-12 से 35) 19
9. राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग-4, अनुच्छेद-36 से 51) 21
10. मूल कर्तव्य [भाग-4 (क), अनुच्छेद-51 (क)] 22
11. संघ की कार्यपालिका 22
12. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 27
13. भारत की संसद 29
14. सर्वोच्च न्यायालय 35
15. उच्च न्यायालय 37
16. राज्य की कार्यपालिका 42
17. राज्य विधानमण्डल 44
18. जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 47
19. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध 48
20. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर आधारित आयोग/समिति 49
21. निर्वाचन आयोग 51
22. संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएँ 53
23. राजभाषा 55
24. भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम 56
25. भारत के रानीतिक दल 57
26. पंचायती राज व्यवस्था 60
27. पिछड़ा वर्ग आयोग 63
28. भारत के संविधान संशोधन 63
29. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67
30. संवैधानिक शब्दावली 77
31. विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार' 79
32. लोकपाल/जन लोकपाल विधेयक 80
33. राइट टूरिकॉल एवं राइट टू रिजेक्ट 80
34. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) 81
35. सूचना का अधिकार (आरटीआई) 81
36. मानव अधिकार आयोग 82
37. विविध महत्वपूर्ण तथ्य 82
38. देश का सर्वोच्च सम्मान 83
39. भारत के राज्यों का अवलोकन : एक दृष्टि में 84
40. भारत के राज्यों के राजकीय प्रतीक चिन्ह 86

❍ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 87-104

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

1. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रपिता: महात्मा गांधी

☞ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का **जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को गुजरात के पोरबन्दर** नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैण्ड से वकालत पास कर भारत आये और फिर 1893 ई. में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आन्दोलन किया।

☞ गांधीजी ने अंग्रेजों के खिलाफ 'सत्य' और 'अहिंसा' की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतन्त्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आन्दोलन के काल को 'गांधी–युग' के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाषचन्द्र बोस ने महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' नाम से सम्बोधित किया।

☞ गांधी जयन्ती को 'अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जून, 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को 'अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी : एक परिचय

☞ पूरा नाम—मोहनदास करनचन्द गांधी
☞ पिता—करमचन्द गांधी
☞ माता—पुतली बाई
☞ जन्म—2 अक्टूबर, 1869 ई.
☞ मृत्यु—30 जनवरी, 1948 ई. (78 वर्ष की आयु में निधन)
☞ जन्म स्थान—पोरबंदर जिला (काठियावाड़, गुजरात)
☞ विवाह—1883 ई. में कस्तूरबा गांधी से (गांधी से 6 महीने बड़ी)
☞ पुत्र—हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास
☞ राजनैतिक गुरू—गोपालकृष्ण गोखले
☞ प्रमुख शिष्या—इंग्लैण्ड में जन्मी मीरा बेन (महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम) का वास्तविक नाम मैडलीन स्लेड था।
☞ कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड—1888 ई. (मुंबई से)
☞ कानून (बैरिस्टर) की डिग्री प्राप्त—1891 ई.
☞ अब्दुल्ला के मुकदमें के लिए दक्षिण अफ्रीका—1893 ई.
☞ दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना—1894 ई.
☞ दक्षिण अफ्रीका में जुलु व बोअर पदक—1899 ई.
☞ कैसर-ए-हिंद प्राप्त—9 जनवरी, 1915 ई.
☞ डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में फीनिक्स आश्रम की स्थापना—02 सितम्बर, 1904 ई.
☞ सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग—1906 ई. (दक्षिण अफ्रीका में)
☞ कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल—1901 ई. (कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन)
☞ जेल जीवन का प्रथम अनुभव—1908 ई.
☞ टॉलस्टाय फार्म की स्थापना—30 मई, 1910 ई. (जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका) भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन कालेनबाख द्वारा प्रदान जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टाय के नाम पर हुआ।
☞ महात्मा गांधी भारत आगमन—9 जनवरी, 1915 ई. (मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर S.S. सुदीव जहाज से उतरे।)
☞ साबरमती आश्रम की स्थापना—17 जून, 1917 ई.
☞ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता—1924 (बेलगांव, कर्नाटक)
☞ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय—21 वर्ष
☞ आत्मकथा—सत्य के मेरे प्रयोग (1925)
☞ रामराज्य के युगल सिद्धांत—सत्य एवं अहिंसा
☞ प्रमुख उपनाम—राष्ट्रपिता सुभाष चन्द्र बोस; बापू पं. जवाहरलाल नेहरू; महात्मा—रवीन्द्रनाथ टैगोर; मलंग बाबा—खुदाई खिदमतगार; अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल; जादूगर—शेख मुजीब-उर-रहमान
☞ अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना—1923
☞ अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना—23 सितंबर, 1925
☞ **प्रमुख पुस्तकें—**इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेंट विद ट्रुथ (आत्मकथा), सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज (1909) लंदन गाइड (1888), माई अर्ली लाइफ, सर्वोदय, (गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध), सुनो विद्यार्थियों सांग्स फ्रॉफ दी प्रिजन ।
☞ प्रमुख समाचार-पत्र—इंडियन ओपीनियन (1903, दक्षिण अफ्रीका में), द ग्रीन पैम्पलेट (14 अगस्त, 1896 राजकोट), यंग इंडिया (1919) हरिजन (1932)।
☞ गांधी जी किस पुस्तक से प्रभावित थे—Unto This Last (जॉन रस्किन)
☞ गांधी जी का आर्थिक सिद्धान्त—न्यासिता (Trustiship Theory) आधारित
☞ गांधी जी समर्थक थे—दार्शनिक अराजकता

राष्ट्रीय ध्वज: तिरंगा

☞ भारतीय ध्वज को 'तिरंगा' के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई, 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के रूप में अपनाया।

Puja पूजा® 100% TO THE POINT

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

- ☞ इस अधिनियम द्वारा दासता को अवैध घोषित किया गया।
- ☞ पहली बार केन्द्रीकरण को व्यवस्थापिका के क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया तथा कम्पनी के वाणिज्यिक तथा राजनैतिक कार्यों में अलगाव लाया गया।
- ☞ भारतीयों को उनकी योग्यतानुसार सरकारी पदों पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया।
- ☞ सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद् में सम्मिलित किया गया।
- ☞ ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया।
- ☞ इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना सम्भव बनाया।

चार्टर अधिनियम, 1853

- ☞ इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धान्त समाप्त कर कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई।
- ☞ भारतीय विधान परिषद् में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त पारित किया गया।
- ☞ 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम सम्पूर्ण भारत के लिए एक विधानमण्डल (All India Legislative Council) की स्थापना की।
- ☞ विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद् के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1858

- ☞ इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।
- ☞ इस अधिनियम को ''भारतीय स्वतन्त्रता का मैग्नाकार्टा'' तथा ''एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया'' की संज्ञा दी गई।
- ☞ भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था।
- ☞ 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट द्वारा लागू वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई।
- ☞ भारत का शासन अब सम्राज्ञी द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद् को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारतराज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया।
- ☞ भारत का लेखा तथा भारत सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
- ☞ भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा।
- ☞ कानूनी अवनति की नीति की शुरूआत इस अधिनियम के द्वारा ही की गई थी।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861

- ☞ यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की नींव रखी गई। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना सम्भव बनाया।
- ☞ वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी।
- ☞ विधान परिषद् की शक्ति अत्यन्त सीमित थी। सदस्यों को प्रशासन अथवा वित्त सम्बन्धी प्रश्नों को पूछने का कोई अधिकार नहीं था।
- ☞ वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद् की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त थी।
- ☞ वायसराय को बंगाल, उत्तर–पश्चिमी सीमान्त प्रान्त और पंजाब में विधान परिषद् स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- ☞ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में विधि निर्माण हेतु 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई जिनमें आधे गैर-सरकारी हो सकते थे, किन्तु इन्हें वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

- ☞ इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरूआत हुई।
- ☞ इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, परन्तु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था।
- ☞ इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई।

भारत सरकार अधिनियम, 1909

- ☞ इस अधिनियम को मार्ले-मिण्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
- ☞ इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया। यही अधिनियम भारत विभाजन का कारण बना।
- ☞ विधान परिषद् के अधिकारों में वृद्धि हुई, उसे सामान्य सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला।
- ☞ प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई तथा केन्द्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
- ☞ 1892 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने ''फूट डालो तथा राज करो'' की नीति का अनुसरण किया और इसी कारण 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया।

अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून

कानून	गवर्नर जनरल	वर्ष	विशेषता
1. सती प्रथा निषेध कानून	विलियम बैंटिंग	**1829**	इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई इसे हत्या माना गया।
2. नवजात कन्या हत्या कानून	जॉन शोर	**1795**	इसके द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगायी गयी।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

- लेकिन इस संधि पत्र में पहली बार नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जो बाद में लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की धारणा को विकसित करने में मददगार बने। संविधान के भाग III को भारत का मैग्नाकार्टा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया हैं। उन्हें अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है।
- इन अधिकारों के अभाव में कोई देश जनतांत्रिक नहीं हो सकता है, इसी कारण से अधिकार भारतीय संविधान का आधार माने जाते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी उप. स्थिति एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे वह अपनी शारीरिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास कर सके। कुछ स्थितियों में जनहित में इन अधिकारों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

6. राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganization Commission)

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

- संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने 27 नवम्बर, 1947 को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग का गठन किया।
- इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में मातृभाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया और वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुगमता व विकास की सम्भावना को भी ध्यान में रखने की सिफारिश की।
- काँग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक त्रिसदस्यीय 'जेवीपी' समिति का गठन किया। इस समिति में पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया सम्मिलित थे।
- 15 दिसम्बर, 1952 ई. को 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठे 'पोट्टी श्री रामुल्लू' की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् 19 दिसम्बर, 1952 को प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नहेरू ने तेलुगू भाषियों के लिए पृथक् आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी।
- इस प्रकार 1 अक्टूबर, 1953 को आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था।
- केन्द्र सरकार ने 22 दिसम्बर, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे।
- इस आयोग के अन्य सदस्यों में हृदय नाथ कुँजरू, के. एम. पनिक्कर थे। आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई, 1956 ई. में पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ राज्यों का गठन किया गया।
- नवम्बर 1954 ई. को फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियाँ पांडिचेरी, यनाम, चन्द्रनगर और केरीकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई, 1956 ई. को इस सम्बंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गये। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया।
- भारत सरकार ने 18 दिसम्बर, 1961 ई. को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन (1962 ई.) द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया।
- वर्तमान में भारत में 29 राज्य तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।

1950 के बाद बने गये राज्य

(1) आन्ध्र प्रदेश—1953 में आन्ध्र राज्य अधिनियम द्वारा मद्रास राज्य का कुछ भाग निकालकर बनाया गया।

(2) महाराष्ट्र तथा गुजरात—1 मई, 1960 को मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मुम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो नये राज्यों का गठन किया गया।

(3) केरल—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा ट्रावनकोर-चीन की जगह बनाया गया।

(4) कर्नाटक—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य से बनाया गया। 1973 से इसे कर्नाटक राज्य कहा जाने लगा।

(5) नगालैण्ड—1 दिसम्बर, 1963 ई. में नागा आन्दोलन के कारण असम को विभाजित करके नगालैण्ड को अलग राज्य बनाया गया।

(6) हरियाणा—1 नवम्बर, 1966 ई. में पंजाब को विभाजित करके हिन्दी भाषी हरियाणा राज्य बनाया गया।

(7) हिमाचल प्रदेश—25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

(8) मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय—21 जनवरी, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

(9) सिक्किम—35वें संविधान संशोधन (1974) द्वारा सिक्किम को भारत के 'सहयुक्त राज्य' के रूप में शामिल किया गया। 36वें सं. विधान संशोधन (1975) द्वारा 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम को भारत का 22वाँ पूर्ण राज्य बनाया गया।

(10) मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश—20 फरवरी, 1987 को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

(11) गोवा—30 मई, 1987 को भारत का 25वाँ राज्य बनाया गया।

(12) छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड व झारखण्ड—1 नवम्बर, 2000 में छत्तीसगढ़ को 26वाँ, 9 नवम्बर, 2000 में उत्तराखण्ड को 27वाँ तथा 15 नवम्बर, 2000 में झारखण्ड को 28वाँ राज्य बनाया गया।

(13) तेलंगाना—2 जून, 2014 को भारत का 29वाँ राज्य बनाया गया।

नये राज्यों की स्थापना

- संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत संसद को यह अधिकार दिया कि वह विधि बनाकर संघ में नये राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नये राज्यों की स्थापना कर सकती है। नये राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है।
- संविधान के अनुच्छेद 3 में नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबन्ध है।
- ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य क्षेत्र को घटाने–बढ़ाने या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक उस राज्य के विधानमण्डल की सर्वसम्मति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967	प्रथम उपराष्ट्रपति
3.	डॉ. जकिर हुसैन	13 मई, 1967 से 13 मई, 1969	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
4.	वी. वी. गिरि	3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969	भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति
5.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला	20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969	तकालीन मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक)
6.	वी. वी. गिरि	24 अगस्त, 1969 से 14 अगस्त, 1974	द्वितीय चक्र की मतगणना
7.	फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
8.	बी. डी. जत्ती	11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977	तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति
9.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982	निर्विरोध निर्वाचित
10.	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987	जेवी वीटो का प्रयोग किया
11.	आर. वेंकटरमण	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992	सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति
12.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997	चार प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया
13.	डॉ. के. आर नारायणन	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002	प्रथम दलित राष्ट्रपति
14.	डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007	मिसाइल वैज्ञानिक
15.	प्रतिभा पाटिल	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति
16.	प्रणव मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017	
17.	रामनाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 से अब तक	दूसरे दलित राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल

नाम	कार्यकाल	विशेष तथ्य
डॉ. एस. राधाकृष्णन्	1952-1962	यू. जी. सी. के प्रथम अध्यक्ष
डॉ. जाकिर हुसैन	1962-1967	राज्यपाल
वी. वी. गिरि	1967-1969	कार्यवाहक राष्ट्रपति
जी. एस. पाठक	1969-1974	—
बी. डी. जत्ती	1974-1979	कार्यवाहक राष्ट्रपति
एम. हिदायतुल्ला	1979-1984	मुख्य न्यायाधीश
आर. वेंकटरमण	1984-1987	केन्द्रीय मन्त्री
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987-1992	मुख्यमन्त्री
डॉ. के. आर. नारायणन	1992-1997	राजदूत
डॉ. कृष्णकान्त	1997-2002	राज्यपाल
भैंरों सिंह शेखावत	2002-2007	मुख्यमन्त्री
मोहम्मद हामिद अंसारी	2007-2017	शिक्षाविद
एम. वेंकैया नायडू	11 अगस्त, 2017 से अब तक	केन्द्रीय मंत्री

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

- राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अपने विवेक से किसी भी राज्य के संवैधानिक तन्त्र की विफलता की घोषणा कर सकता है।
- राष्ट्रपति की इस घोषणा का संसद द्वारा दो माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। उद्घोषणा का नवीनीकरण संसद द्वारा एक बार में 6 माह के लिए साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि राज्य में चुनाव के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं या राष्ट्रीय आपात रहने पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से भी आगे बढ़ाई जा सकती है।
- संवैधानिक तन्त्र की विफलता के लिए घोषणा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग करना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने अथवा उनसे सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों को स्थगित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार 1951 में (पेप्सू राज्य) पंजाब में भार्गव मन्त्रिमण्डल के पतन के कारण ऐसी उद्घोषणा की गई।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

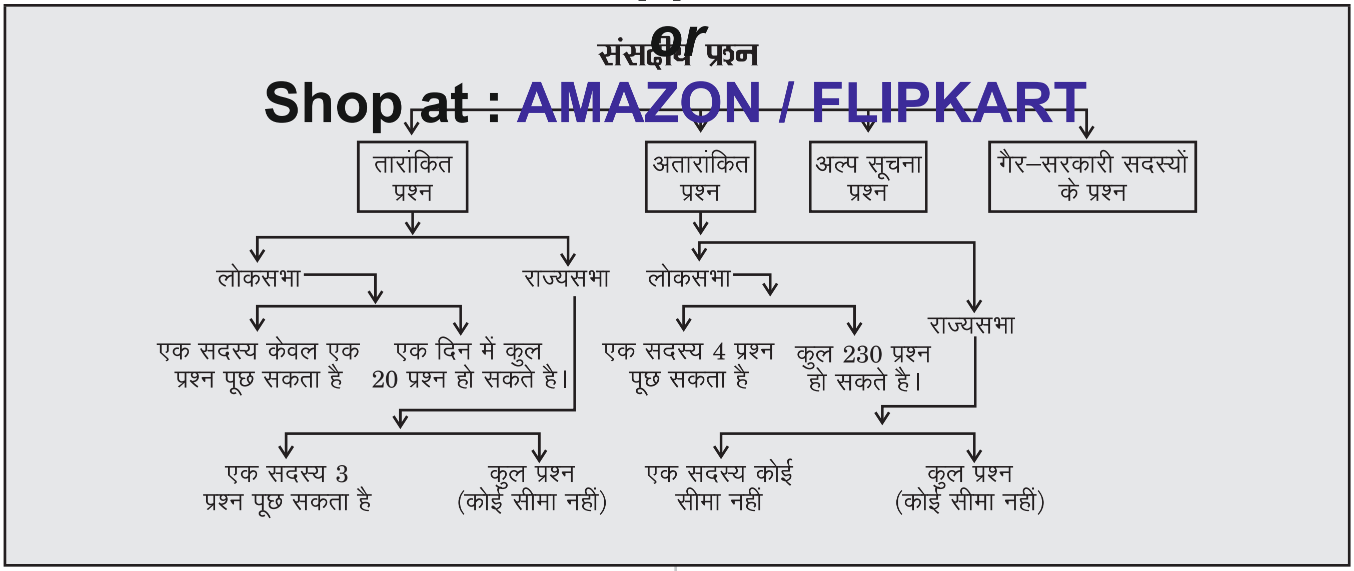

लोकसभा अध्यक्ष		
क्र. सं.	**नाम**	**कार्यकाल**
1.	गणेश वासुदेव मावलंकर	1952-1956
2.	एम. ए. आयंगर	1956-1957
3.	एम. ए. आयंगर	1957-1962
4.	हुकुम सिंह	1962-1967
5.	नीलम संजीव रेड्डी	1967-1969
6.	डॉ. गुरुदयाल सिंह ढिल्लो	1969-1971
7.	डॉ. गुरुदयाल सिंह ढिल्लो	1971-1975
8.	बलीराम भगत	1976-1977
9.	नीलम संजीव रेड्डी	1977-1977 (26 मार्च.13 जुलाई)
10.	के. एस. हेगड़े	1977-1980
11.	डॉ. बलराम जाखड़	1980-1985
12.	डॉ. बलराम जाखड़	1985-1989
13.	रवि राय	1989-1991
14.	शिवराज पाटिल	1991-1996
15.	पी. ए. संगमा	1996-1998
16.	जी. एम. सी. बालयोगी	1998-1999
17.	जी. एम. सी. बालयोगी	1999-2002
18.	मनोहर जोशी	2002-2004
19.	सोमनाथ चटर्जी	2004-2009
20.	मीरा कुमार	3 जून, 2009 से 4 जून, 2014
21.	सुमित्रा महाजन	6 जून, 2014 से 17 जून 2019
22.	ओम बिड़ला	19 जून, 2019 से अब तक

संसद के संयुक्त अधिवेशन

☞ भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक तीन बार विवादित विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया। पहला अधिवेशन 1961 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू के काल में दहेज विरोधी अधिनियम को पारित कराने के लिए तथा दूसरा अधिवेशन 1978 में प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के काल में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने हेतु आहूत किया गया था। तीसरी बार 26 मार्च, 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में विवादित आतंक विरोधी विधेयक 2002 पारित किया गया। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब संसद के दोनों अधिवेशनों में स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद भी यह विधेयक पारित कराये गये। पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे पहले सांसद हैं, जिन्होंने तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया।

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश और उनकी सीटें					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**लोक सभा**	**राज्य सभा**	**विधान सभा**	**विधान परिषद्**
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	11	175	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	60	–
3.	असोम	14	7	126	–
4.	बिहार	40	16	243	75
5.	छत्तीसगढ़	11	5	90	–
6.	गोवा	2	1	40	–
7.	गुजरात	26	11	182	–
8.	हरियाणा	10	5	90	–
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	68	–
10.	झारखण्ड	14	6	81	–
11.	जम्मू-कश्मीर	6	4	87	36
12.	कर्नाटक	28	12	224	75
13.	केरल	20	9	140	–
14.	मध्य प्रदेश	29	11	230	–
15.	महाराष्ट्र	48	19	288	78
16.	मणिपुर	2	1	60	–
17.	मेघालय	2	1	60	–

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

12.	मध्य प्रदेश	1956 ई.	मध्य प्रदेश	जबलपुर (ग्वालियर और इन्दौर में खण्डपीठ)
13.	चेन्नई	1862 ई.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चेन्नई
14.	ओडिशा	1948 ई.	ओडिशा	कटक
15.	उत्तराखण्ड	2000 ई.	उत्तराखण्ड	नैनीताल
16.	पटना	1916 ई.	बिहार	पटना
17.	पंजाब और हरियाणा	1975 ई.	पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
18.	राजस्थान	1949 ई.	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में खण्डपीठ)
19.	सिक्किम	1975 ई.	सिक्किम	गंगटोक
20.	झारखण्ड	2000 ई.	झारखण्ड	राँची
21.	छत्तीसगढ़	2000 ई.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
22.	मेघालय	25 मार्च, 2013 ई.	मेघालय	शिलाँग
23.	मणिपुर	25 मार्च, 2013 ई.	मणिपुर	इम्फाल
24.	त्रिपुरा	26 मार्च, 2013 ई.	त्रिपुरा	अगरतला
25.	हैदराबाद	1954	तेलंगाना	हैदराबाद

भारत में विधि आयोग

☞ देश में पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया था, जिसने IPC तथा CRPC को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की थी। आयोग कानूनी मुद्दे और समसामयिक स्थितियों का सरकार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और स्वत: संज्ञान के आधार पर अध्ययन करता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज तथा सदस्यों में जाने माने न्यायविद होते हैं। 3 पूर्णकालिक तथा 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नई व्यवस्था में विधिक तथा विधायी मामलों के सचिवों को इसका पदेन सदस्य बना दिया है।

विधि आयोग अध्यक्ष

आयोग	स्थापना	अध्यक्ष
पहला विधि आयोग	1834	लॉर्ड मैकाले
दूसरा विधि आयोग	1853	सर जॉन रोमिली
तीसरा विधि आयोग	1861	सर जॉन रोमिली
चौथा विधि आयोग	1879	डॉ. ह्विटनी स्टोक्स

अब तक नियुक्त किये गये विधि आयोग

आयोग	कार्यकाल	अध्यक्ष
1	1955-1958	एम.सी. शीतलवाड
2	1958-1961	टी.वी. वेंकटरामा अय्यर
3	1961-1964	न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर
4	1964-1968	न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर
5	1968-1971	के.वी.के. सुन्दरम्, ICS
6	1971-1974	न्यायमूर्ति पी.वी. राजेन्द्र गड़कर
7	1974-1977	न्यायमूर्ति पी.वी. राजेन्द्र गड़कर
8	1977-1979	न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना
9	1979-1980	न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित
10	1981-1985	न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू
11	1985-1988	न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई
12	1988-1991	न्यायमूर्ति एम.पी. ठक्कर
13	1991-1994	न्यायमूर्ति के.एन. सिंह
14	1995-1997	न्यायमूर्ति के. जयचन्द्र रेड्डी
15	1997-2000	न्यायमूर्ति वी.पी. जीवन रेड्डी
16	2000-2003	न्यायमूर्ति वी.पी. जीवन रेड्डी न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव
17	2003-2006	न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव
18	2006-2009	न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मण
19	2009-2012	न्यायमूर्ति पी. वेंकटरामा रेड्डी
20	2012-2013	न्यायमूर्ति डी.के. जैन
21	2013-2015	न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह
22	2015-2018	न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान

परिवार न्यायालय या कुटुम्ब न्यायालय

☞ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया।

☞ परिवार न्यायालय मुख्यत: विवाह-विच्छेद, पारिवारिक देख-भाल, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण इत्यादि तरह के मामलों को देखता है।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

हो जाता है, लेकिन संसद द्वारा राज्य सूची में बनाया गया कानून आपातकाल की अवधि के समापन के 6 माह के बाद अप्रवर्तनीय हो जाता है।

- **राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद की शक्ति** जब राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तब संसद को राज्यसूची पर विधि निर्माण का या राज्य विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि संसद चाहे तो इस प्रकार राज्य विधानमण्डल की प्राप्त शक्ति के प्रयोग का अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है तथा राष्ट्रपति कुछ शर्तों के साथ इनके प्रयोग का अधिकार अन्य प्राधिकारी को दे सकता है।

वित्तीय व्यवस्था
(Finance System)

संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत—निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार तथा कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क।

राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत—आयकर, सम्पदा शुल्क, कृषि भूमि पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी आदि।

संघ द्वारा लगाये गये तथा राज्य द्वारा वसूले जाने वाले कर— वसीयतों, विनिमय पत्रों, बचत पत्रों, चेकों आदि पर स्टाम्प शुल्क, दवा तथा मादक द्रव्य पर कर तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री पर लगाये गये कर।

संघ द्वारा लगाये तथा वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों में वितरित किये जाने वाले कर—

(i) रेल, समुद्र तथा वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा शुल्क।
(ii) कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क।
(iii) रेल भाड़ों तथा माल भाड़ों पर कर।
(iv) स्टॉक एक्सचेंजों तथा शेयर बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर।
(v) समाचार-पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।
(vi) माल के प्रेषण पर उस दशा में कर, जिसमें ऐसी घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।
(vii) कृषि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क।

20. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर आधारित आयोग/समिति

- **सीतलवाड़ समिति** (Setalvad Committee)—प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए 1966 में एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने संविधान संशोधन किये बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की।
- राजमन्नार समिति (Rajamannar Committee)—22 सितम्बर, 1969 तमिलनाडु सरकार ने डॉ. पी. वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से गठित की। अवशिष्ट विषय समाप्त कर देने चाहिए या राज्यों को दिये जाने चाहिए। अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देने की सिफारिश की।
- सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)—24 मार्च, 1983 को रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केन्द्र.राज्यों के सम्बन्धों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था।

अन्तर्राज्यीय परिषद् (Interstate Council)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है।
- भारतीय राजव्यवस्था में पहली बार जून, 1990 में अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई तथा पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी।
- **अन्तर्राज्यीय परिषद् के कार्य—**
  (i) वह राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जाँच करेगी और उस पर परामर्श प्रदान करेगी।
  (ii) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करना तथा उन पर विचार-विमर्श करना।
  (iii) ऐसे किसी भी विषय के बारे में अच्छे समन्वय हेतु नीति या कार्यवाहियों की सिफारिश करेगी।
- **परिषद् की रचना—**अन्तर्राज्यीय परिषद् में प्रधानमन्त्री तथा उनके द्वारा नियुक्त किये गये 6 केन्द्रीय कैबिनेट स्तर के मन्त्रियों के अतिरिक्त इनमें सभी राज्यों और उन संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री भी शामिल हैं, जिनमें विधानसभा है। जिन संघ क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है, उनके प्रशासक तथा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है, उनके राज्यपाल शामिल हैं।

सचिवालय

अन्तर्राज्यीय परिषद् के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया। सचिवालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

- **परिषद् की बैठक तथा गणपूर्ति—**अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठक वर्ष में तीन बार की जायेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री (अनुपस्थिति में कैबिनेट स्तर का कोई मन्त्री) करेंगे। परिषद् की बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों।

वित्त आयोग (Finance Commission)

- संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं।
- वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने इसके लिए 1951 में वित्त आयोग अधिनियम, 1951 पारित किया, जिसे बाद में 1955 में संशोधित किया गया।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमन्त्री के सचिव, सचिव, लोकसभा/राज्यसभा, सॉलिसिटर जनरल।

(24) लेफ्टिनेण्ट जनरल रैंक के अधिकारी।

25. भारत के राजनीतिक दल (Political Parties in India)

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दल का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारों का गठन उस राजनीतिक दल द्वारा ही किया जाता है, जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है। लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल केन्द्र में सरकार बनाता है तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल राज्यों में सरकार का गठन करता है।

- ☞ भारत में वास्तविक अर्थ में राजनीतिक दल का गठन 1885 में हुआ, जब काँग्रेस अस्तित्व में आयी। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ, लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं है।
- ☞ स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी करीब 1967 तक सम्पूर्ण भारत में काँग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन 1967 में काँग्रेस को अनेक राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तथा 1977 में पाँच दलों के विलय से गठित जनता पार्टी ने काँग्रेस को केन्द्र से भी सत्ता से हटा दिया; लेकिन जनता पार्टी में आपसी मतभेद के कारण काँग्रेस पुनः केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई।
- ☞ 1978 में राजनीतिक ध्रुवीकरण से विघटन एवं बिखराव प्रारम्भ हो गया तथा 1979 में यह बिखराव स्पष्ट हो गया। जनता पार्टी बिखर कर रह गई।
- ☞ 1980 के आम चुनाव में पुनः काँग्रेस केन्द्र की सत्ता में आ गई। 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् काँग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में पुनः बहुमत में आई।
- ☞ 1989 में भी काँग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिलीं, लेकिन सत्ता का नेतृत्व जनता दल ने अन्य दलों के सहयोग से किया। यह सहयोग अधिक दिन तक नहीं चल सका।
- ☞ 1991 में पुनः काँग्रेस सत्ता में आई, जो 1996 तक रही फिर गठ. बन्धन सरकारों का युग प्रारम्भ हुआ।
- ☞ 11वीं, 12वीं तथा 13वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा की गठबन्धन सरकार शासन में रही और फिर 14वीं तथा 15वीं लोकसभा (2009) में फिर काँग्रेस सत्ता में आ गई।

भारत के राष्ट्रीय दल (National Parties of India)

- ☞ 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- ☞ किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा के आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा।
- ☞ इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2 प्रतिशत सीटें हों और कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हों। मौजूदा 543 सदस्यों की लोकसभा में 11 सीटें होनी चाहिए।
- ☞ वर्तमान में 7 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय दल

चुनाव वर्ष	राष्ट्रीय दलों की संख्या	राज्यस्तरीय दलों की संख्या	कुल
1952	14	60	74
1957	4	12	16
1962	_	16	16
1967	_	21	21
1971	8	17	25
1977	5	18	23
1980	6	19	25
1984	7	19	26
1989	8	20	28
1998	7	48	55
1999	7	48	55
2000	5	50	55
2004	6	45	51
2009	7	40	47
2009	6	47	53
2015	7	51	58

राष्ट्रीय दल (वर्ष 2019)

क्र. सं.	नाम	स्थापना (वर्ष)	संस्थापक महासचिव	चुनाव चिह्न
1.	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस)	1885	ए. ओ. ह्यूम	हाथ का पंजा
2.	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	1980	अटल बिहारी वाजपेयी	कमल
3.	बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	1984	काशीराम	हाथी
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)	1920	एम. एन. राय	हँसिया और बाली
5.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी माकपा)	1964	पी. ए. डांगे	हँसिया, हथौड़ा एवं तारा
6.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी)	1999	शरद पवार	घड़ी
7.	तृणमूल काँग्रेस	1998	ममता बनर्जी	तिरंगा में अंकित पौधा

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

(v) इसके अन्तर्गत वन सम्पदा, नाप-तौल , पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियन्त्रण, शिक्षा आदि विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया।

(vi) इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

(vii) संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से अलग रखा गया है।

(viii) इसमें अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल सम्पूर्ण देश में या देश के कुछ भागों में लागू किया जा सकता है।

(ix) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(x) बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

☞ **43वाँ संशोधन (1977 ई.)**—इसके द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाओं विशेषतया न्यायपालिका से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया। संसद द्वारा किसी भी ट्रेड यूनियन या संस्था को राष्ट्र विरोधी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।

☞ **44वाँ संशोधन (1978 ई.)**—इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन कर यह उपबन्ध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए आन्तरिक अशान्ति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' का आधार रखा गया। व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300-क के अन्तर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है।

☞ इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है।

☞ **45वाँ संशोधन (1980 ई.)**—इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ऐंग्लो इण्डियन समुदाय के लिए व्यवस्थापिकाओं में सीटों का आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

☞ **46वाँ संशोधन (1982 ई.)**—इसके द्वारा कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में बिक्री कर की समान दरें और वसूली की एकसमान व्यवस्था को अपनाया गया।

☞ **47वाँ संशोधन (1982 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा 14 भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

☞ **48वाँ संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 (5) में यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

☞ **49वाँ संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 244 तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया।

☞ **50वाँ संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूलाधिकारों को प्रतिबन्धित किया गया।

☞ **51वाँ संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 को संशोधित करते हुए मेघालय, नगालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 को संशोधित करते हुए नागालैण्ड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गया है।

☞ **52वाँ संशोधन (1985 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी, जिसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल प्रणाली पर कानूनी रोक लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अन्तर्गत संसद या राज्य विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक-तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी।

☞ **53वाँ संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा संघीय क्षेत्र मिजोरम को अनुच्छेद 371 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाये रखने की दृष्टि से उसे विशेष स्थिति भी प्रदान की गयी।

☞ **54वाँ संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों (वेतन, भत्ते, पेंशन) में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।

☞ **55वाँ संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

☞ **56वाँ संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारतीय संघ के तहत राज्य का दर्जा (25वां) तथा दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

☞ **57वाँ संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

☞ **58वाँ संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का हिन्दी में संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

☞ **59वाँ संशोधन (1988 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि पंजाब में कुल तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

☞ **60वाँ संशोधन (1988 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की स्थानीय संस्थाओं को सहायता देने के लिए व्यापारिक कर में ₹250 के स्थान पर ₹2500 की वार्षिक वृद्धि कर सकती हैं।

☞ **61वाँ संशोधन (1989 ई.)**—इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया। इस पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।

☞ **62वाँ संशोधन (1989 ई.)**—इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा ऐंग्लो इण्डियन समुदाय के लिए आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2000 ई. तक के लिए संसद व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

भाग-7

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (The States in Part B or the First Schedule)

- अनुच्छेद 238—निरसित।

भाग-8

संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

- अनुच्छेद 239—संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन ।
- अनुच्छेद 239क—कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमण्डलों या मन्त्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन।
- अनुच्छेद 239ख—विधानमण्डल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति।
- अनुच्छेद 240—कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- अनुच्छेद 241—संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।
- अनुच्छेद 242—सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित।

भाग-9

पंचायतें (The Panchayats)

- अनुच्छेद 243—परिभाषाएँ।
- अनुच्छेद 243क—ग्राम सभा।
- अनुच्छेद 243ख—पंचायतों का गठन।
- अनुच्छेद 243ग—पंचायतों की संरचना।
- अनुच्छेद 243घ—स्थानों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 243ङ—पंचायतों की अवधि।
- अनुच्छेद 243च—सदस्यता के लिए निरर्हताएँ।
- अनुच्छेद 243छ—पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
- अनुच्छेद 243ज—पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी विधियाँ।
- अनुच्छेद 243झ—वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।
- अनुच्छेद 243ञ—पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।
- अनुच्छेद 243ट—पंचायतों के लिए निर्वाचन।
- अनुच्छेद 243ठ—संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।
- अनुच्छेद 243ड—इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।
- अनुच्छेद 243ढ—विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।
- अनुच्छेद 243ण—निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

भाग-9 (क)

नगरपालिकाएँ (The Municipalities)

- अनुच्छेद 243त—परिभाषाएँ।
- अनुच्छेद 243थ—नगरपालिकाओं का गठन।
- अनुच्छेद 243द—नगरपालिकाओं की संरचना।
- अनुच्छेद 243ध—वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना।
- अनुच्छेद 243न—स्थानों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 243प—नगरपालिकाओं की अवधि।
- अनुच्छेद 243फ—सदस्यता के लिए अनर्हता।
- अनुच्छेद 243ब—नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व।
- अनुच्छेद 243भ—नगपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी विधियाँ।
- अनुच्छेद 243म—वित्त आयोग।
- अनुच्छेद 243य—नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण।
- अनुच्छेद 432यक—नगर पालिकाओं के निर्वाचन।
- अनुच्छेद 243यख—संघ राज्यों का प्रवर्तन।
- अनुच्छेद 243यग—कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना।
- अनुच्छेद 243यघ—जिला योजना के लिए समिति।
- अनुच्छेद 243यङ—महानगरीय योजना के लिए समिति।
- अनुच्छेद 243यच—वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता।
- अनुच्छेद 243यछ—निर्वाचिकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन।

भाग-10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Schedule and Tribal Areas)

- अनुच्छेद 244—अनुसूची क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन।
- अनुच्छेद 244क—असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमण्डल या मन्त्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन।

भाग-11

संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (Relation Between the Union and the States)

- अनुच्छेद 245—संसद द्वारा और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार।
- अनुच्छेद 246—संसद द्वारा और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु।
- अनुच्छेद 247—कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 248—विधि निर्माण सम्बन्धी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं।
- अनुच्छेद 249—राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे।
- अनुच्छेद 250—यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

बात की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में यह कहा कि राइट टू रिकॉल वर्तमान स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मैकनिज्म है जिसके माध्यम से लोगों को सशक्त किया जा सकता है। वर्तमान भारत में बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के स्थानीय निकायों में 'राइट टू रिकॉल' का प्रावधान किया गया है।

- ☞ नगर निकायों के लिए राइट टू रिकॉल में यह प्रावधान है कि किसी निर्वाचित निकाय प्रतिनिधि से सम्बन्धित वार्ड के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को एक हस्ताक्षरित आवेदन नगर विकास विभाग को देना होता है। विभाग को उस हस्ताक्षरित आवदेन की मैरिट को देखना है। अगर विभाग इस बात से सहमत है कि सम्बन्धित वार्ड काउंसलर ने दो-तिहाई मतदाताओं का विश्वास खो दिया है तो वह उक्त काउंसलर को हटा सकता है। सरकार ने मतदाताओं को यह अधिकार इन्हीं राज्यों की स्थानीय निकायों को दिया है कि वह अपने निर्वाचित प्र. तिनिधि को वापस बुला सकता है जब उसे वह पसन्द न आये।
- ☞ देश में पहली बार 16 जून, 2008 में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने तीन नगर पंचायत प्रमुखों को वापस बुला लिया था।
- ☞ भारत में चुनाव से सम्बन्धित चुनाव आचार संहिता नियम, 1961 की धारा 49(O) के अन्तर्गत मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से इन्कार कर सकता है।
- ☞ आने वाले राजनीतिक दौर में 'राइट टू रिजेक्ट' काफी महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत जनता के पास अपने कार्यों में नाकाम सांसद या विधायक को गद्दी से उतारने का अधिकार होगा। इसके अन्तर्गत जब चाहे जनता अपने प्रतिनिधि से उनके कार्यों का हिसाब माँग सकेगी और जिस तरह मतों के आधार पर उन्हें चुना जाता है, उसी तरह मतों के आधार पर ही उनका चुनाव रद्द कर सकेगी। अन्ना हजारे ने आन्दोलन के दौरान कहा कि चुनाव में किसी को भी खारिज किये जाने वाले राइट टू रिजेक्ट के अधिकार की माँग ने पूरी राजनैतिक हलके में हलचल मचा दी है। कई राजनेताओं को ऐसा महसूस होने लगा है कि यदि कहीं यह विधेयक एक बार पारित हो गया, तो जनता के हाथ एक ऐसा हथियार लग जायेगा जिससे वह नेताओं के भविष्य पर पूर्ण विराम लगा देंगे।

34. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

- ☞ भारत सरकार ने फरवरी 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 'सेण्ट्रल विजिलेंस कमीशन (CVS) का गठन किया था। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत सरकार के तहत् होने वाले तमाम निगरानी सम्बन्धी कार्यों का दायरा इसी के अन्तर्गत आता है।
- ☞ 7 अगस्त, 2003 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) (Central Vegelance Commission : VCV) को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सीवीसी विधेयक को राज्य सभा ने पारित कर दिया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी थी, किन्तु स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ संशोधन विधेयक में बाद में किये गये थे, इसलिए लोकसभा में इसे पुनः भेजा गया, जहाँ इसे नये सिरे से बाद में 18 अगस्त, 2003 को पारित किया गया है। इस कानून से सरकारी कर्मचारियों, निगमों, सोसाइटियों व स्थानीय कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की जाँच का अधिकार सीवीसी को प्राप्त हो गया है। सीबीआई द्वारा संयुक्त सचिव या इससे ऊँचे स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच के लिए सीवीसी की पूर्वानुमति को इस कानून के तहत आवश्यक किया गया है।
- ☞ इसके प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त के अतिरिक्त चार आयुक्त होंगे। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तीन सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति में प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री के अतिरिक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

35. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

केन्द्र व राज्य सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय संसद द्वारा 15 जून, 2005 में पारित सूचना का अधिकार (Right to Information in India) अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया है। इससे नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों को देखने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस कानून के तहत सरकारी प्रशासनिक अधिकारी सूचना अधिकारियों के माध्यम से आधिकारिक सूचनाएँ देने के लिए बाध्य हो गये हैं। इसके लिए सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) का गठन कर दिया है। आयोग के गठन की अधिसूचना 12 अक्टूबर, 2005 को जारी कर दी गई थी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19(1) (क) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) (क) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं ? इत्यादि। प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है अतः उसे अधिकार मिलते हैं और साथ ही उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई धनराशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है ? सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियाँ, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की माँग की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम जम्मू-कश्मीर के अलावा सम्पूर्ण भारत में लागू है जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत् आने वाले सभी निकाय शामिल हैं। इसमें ऐसे गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जिनका स्वामित्व, नियन्त्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 बनाया, जिसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह सामान्य जनता से किसी तथ्य को छिपा सकती थी। सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को प्रकट करता है, तो सरकार उस व्यक्ति को दण्डित कर सकती है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के अन्त के बाद 26 जनवरी, 1950 को स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू हुआ, परन्तु संविधान निर्माताओं ने सूचना के अधिकार को संविधान में वर्णित नहीं किया। सूचना के अधिकार की माँग सर्वप्रथम 'राजस्थान' में प्रारम्भ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जनान्दोलन की शुरूआत 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (M.K.S.S.) द्वारा अरुणाड़ रॉय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भण्डाफोड़ के लिए 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के रूप में हुई। जून, 1997 में जयपुर के सचिवालय के पास 54 दिनों तक अन्य संगठनों के साथ मिलकर सूचना के अधिकार की माँग को लेकर धरना दिया गया। इसकी परिणिति 1 मई, 2000 को राजस्थान सरकार से सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता मिली। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असोम व दिल्ली आदि राज्यों में भी यह कानून बन चुका था। 12 मई, 2005 को संसद ने सूचना का अधिकार पारित कर सम्पूर्ण देश में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) लागू कर दिया।

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

(C) हिन्दुस्तान तथा इण्डिया
(D) भारत, हिन्दुस्तान तथा इण्डिया

उत्तर: (A)

29. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन-सा क्रम सही है ?
(A) गणतन्त्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्तासम्पन्न
(B) सार्वभौम सत्तासम्पन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र
(C) सार्वभौम सत्तासम्पन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतन्त्र
(D) सार्वभौम सत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतन्त्र

उत्तर: (D)

30. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया ?
(A) 42वाँ (B) 45वाँ
(C) 51वाँ (D) 43वाँ

उत्तर: (A) 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें **समाजवाद, पंथनिरपेक्ष** (धर्मनिरपेक्ष) और **राष्ट्र की अखण्डता** शब्द जोड़े गये।

31. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गयी है—
(A) यूनाइटेड किंगडम के (B) संयुक्त राज्य अमेरिका के
(C) यू. एस. एस. आर. के (D) ऑस्ट्रेलिया के

उत्तर: (B)

32. लोक हित मुकदमे की संकल्पना का प्रारम्भ हुआ था—
(A) यूनाइटेड किंगडम में (B) संयुक्त राज्य अमेरिका में
(C) ऑस्ट्रेलिया में (D) कनाडा में

उत्तर: (B)

33. भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है ?
(A) सोवियत संघ की (B) ऑस्ट्रेलिया की
(C) इटली की (D) कनाडा की

उत्तर: (B)

34. भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति-निदेशक तत्वों' की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है ?
(A) फ्रांस (B) आयरलैण्ड
(C) जापान (D) यू. एस. एस. आर.

उत्तर: (B)

35. भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का विचार लिया गया है—
(A) अमेरिकन संविधान से
(B) ब्रिटिश संविधान से
(C) रूस (पूर्व सोवियत संघ) के संविधान से
(D) फ्रांस के संविधान से

उत्तर: (C)

36. भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी है ?
(A) लोकतन्त्रात्मक (B) अध्यक्षात्मक
(C) संसदात्मक (D) अर्द्ध-लोकतन्त्रात्मक

उत्तर: (C)

37. निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ?
(A) संविधान लिखित और अनम्य है
(B) न्यायपालिका स्वतन्त्र है
(C) अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना
(D) केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण

उत्तर: (D) भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था परिसंघीय है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है।

38. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अन्त में दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए—
कथन (A) : भारत के संविधान में एकसंघीय प्रणाली का प्रावधान है।
कथन (R) : उसने एक बहुत शक्तिशाली केन्द्र की रचना की है।
कूट :
(A) दोनों A और R सही हैं, किन्तु A का सही स्पष्टीकरण है
(B) दोनों A और R सही हैं और A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A सही है परन्तु R गलत है
(D) A गलत है परन्तु R सही है

उत्तर: (B)

39. भारतीय संविधान की निम्न दी गयी अनुसूचियों में से कौन-सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ?
(A) पहली (B) दूसरी
(C) तीसरी (D) चौथी

उत्तर: (A) संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों (29 राज्य) एवं संघशासित (7 राज्य) क्षेत्रों का उल्लेख है।

40. भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं—
(A) 12 (B) 16
(C) 8 (D) 10

उत्तर: (A)

41. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची-I (संविधान की अनुसूची)	सूची-II (विषय)
a. चतुर्थ	1. भूमि सुधार
b. षष्ठ	2. भाषा
c. अष्टम्	3. राज्यसभा
d. नवम्	4. जनजातीय क्षेत्र

कूट :

	a	b	c	d
(A)	1	2	3	4
(B)	2	3	4	1
(C)	3	4	2	1
(D)	4	2	1	3

उत्तर: (C)

42. भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है ?
(A) दूसरी अनुसूची (B) पाँचवीं अनुसूची
(C) आठवीं अनुसूची (D) दसवीं अनुसूची

उत्तर: (D) दसवीं अनुसूची—यह संविधान में 52वें संशोधन (1985 ई.) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल-बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है।

43. निम्न में से कौन राज्य सूची में है ?
(A) रेलवे पुलिस
(B) निगम कर

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

150. मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है—
(A) मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा
(B) राष्ट्रपति द्वारा
(C) मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव से
(D) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर

उत्तर: (D)

151. भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं—
1. संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के सभी चुनाव करवाना
2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना
3. किसी राज्य में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की संस्तुति करना
4. निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण

नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए—
कूट :
(A) 1, 2, 3 (B) 1, 2, 4
(C) 1, 3, 4 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (B)

152. न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किये गये व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है—
(A) भारत सरकार द्वारा (B) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(C) निर्वाचन आयोग द्वारा (D) संसद द्वारा

उत्तर: (C)

153. आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी—
(A) 73वें संशोधन द्वारा (B) 62वें संशोधन द्वारा
(C) 61वें संशोधन द्वारा (D) 71वें संशोधन द्वारा

उत्तर: (C) 61वें संविधान संशोधन (1989) द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

154. दिनेश गोस्वामी समिति का सम्बन्ध था—
(A) बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से
(B) निर्वाचन सुधारों से
(C) पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से
(D) चकमा समस्या से

उत्तर: (C) दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से सम्बंधित है। इसी की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर, 1993 से निर्वाचन आयोग को **तीन सदस्यीय आयोग** बना दिया गया।

155. पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है ?
(A) केन्द्र सरकार (B) राज्य सरकार
(C) जिला न्यायाधीश (D) चुनाव आयोग

उत्तर: (B)

156. भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है ?
(A) संसद (B) राष्ट्रपति
(C) चुनाव आयोग (D) सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: (C)

157. भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से सम्बद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमन्त्री कौन थे ?
(A) इन्दिरा गांधी (B) राजीव गांधी
(C) पी. वी. नरसिम्हा राव (D) वी. पी. सिंह

उत्तर: (C)

158. पंचायती राज विषय है—
(A) समवर्ती सूची का (B) केन्द्र की सूची का
(C) राज्य की सूची का (D) शेषाधिकारों की सूची का

उत्तर: (C)

159. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ?
(A) अनुच्छेद 32 (B) अनुच्छेद 40
(C) अनुच्छेद 48 (D) अनुच्छेद 51

उत्तर: (B)

160. भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजतन्त्र की सिफारिश की थी—
(A) अशोक मेहता समिति ने
(B) बलवन्त राय मेहता समिति ने
(C) जी. के. वी. राव समिति ने
(D) एल. एम. सिंघवी समिति ने

उत्तर: (B) बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (i) ग्राम या नगर पंचायत (ii) तहसील पंचायत (iii) जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश के साथ यह कहा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल इकाई प्रखण्ड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए।

161. अक्टूबर, 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरम्भ किया गया—
(A) राजस्थान में (B) तमिलनाडु में
(C) केरल में (D) कर्नाटक में

उत्तर: (A) पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू ने किया।

162. महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान (Indian Constitution) में संशोधन करके दिया गया है, वह है—
(A) 1992 का 70वाँ संशोधन (B) 1992 का 73वाँ संशोधन
(C) 1992 का 74वाँ संशोधन (D) 1992 का 77वाँ संशोधन

उत्तर: (B)

163. मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?
(A) 1 वर्ष (B) 2 वर्ष
(C) 3 वर्ष (D) 5 वर्ष

उत्तर: (D)

164. भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है—
(A) केवल लोकसभा में
(B) केवल राज्यसभा में
(C) या तो लोकसभा में या राज्यसभा में
(D) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

उत्तर: (C)

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

234. निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोक सभा अध्यक्ष थे ?
(A) जी. वी. मावलंकर (B) जी. एम. सी. बालयोगी
(C) मनोहर जोशी (D) पी. ए. संगमा

उत्तर: (D)

235. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है–
(A) लोक सभा में (B) राष्ट्रपति कार्यालय में
(C) वित्त मंत्रालय में (D) प्रधानमंत्री कार्यालय में

उत्तर: (A) लोक लेखा समिति–यह स्थायी समिति है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है।

236. पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे ?
(A) जगजीवन राम (B) काका कालेलकर
(C) बी. डी. शर्मा (D) बी. आर. अम्बेडकर

उत्तर: (B) पिछड़ी जाति आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति 29 जनवरी, 1953 में काका कालेलकर को नियुक्त किया गया था।

237. राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ?
(A) संघ लोक सेवा आयोग (B) भारत का राष्ट्रपति
(C) राज्य का राज्यपाल (D) मुख्यमंत्री

उत्तर: (C)

238. भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है ?
(A) यू. एस. ए. (B) कनाडा
(C) ऑस्ट्रेलिया (D) जर्मनी

उत्तर: (B)

239. भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन-सी है ?
(A) लोक लेखा समिति (B) प्राक्कलन समिति
(C) सार्वजनिक उपक्रम समिति (D) याचिका समिति

उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति–इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा से तथा 5 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधत्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं।

240. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है ?
(A) अनुच्छेद 115 (B) अनुच्छेद 117
(C) अनुच्छेद 240 (D) अनुच्छेद 249

उत्तर: (D) अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे।

241. किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है ?
(A) बेरुबारी (B) सज्जन सिंह
(C) गोलकनाथ (D) केशवानन्द भारती

उत्तर: (A)

242. शिक्षा जो आरम्भ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई ?
(A) 24वें संशोधन द्वारा (B) 25वें संशोधन द्वारा
(C) 42वें संशोधन द्वारा (D) 44वें संशोधन द्वारा

उत्तर: (C) 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा शिक्षा, वन, नाप-तौल, पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियन्त्रण आदि विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया।

243. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है ?
(A) मौलिक अधिकार (B) मौलिक कर्त्तव्य
(C) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त (D) संविधान की प्रस्तावना

उत्तर: (C)

244. लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
(A) अनुच्छेद 121 (B) अनुच्छेद 139
(C) अनुच्छेद 221 (D) अनुच्छेद 331

उत्तर: (D) एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण–
अनुच्छेद 331 – लोकसभा में
अनुच्छेद 333 – विधानसभा में

245. जनहित याचिका की अवधारणा की शुरूआत किस देश में हुई है ?
(A) यूनाइटेड किंगडम (B) कनाडा
(C) ऑस्ट्रेलिया (D) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (D) जनहित याचिका की अवधारणा–जनहित याचिका की अवधारणा USA के संविधान से ली गई है। जनहित याचिका भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमें का प्रावधान है अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।

246. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है–
(A) संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में
(B) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
(C) एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में
(D) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में

उत्तर: (C) अनुच्छेद 87–इस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है।

पूजा 100% TO THE POINT

For Full Book (Printed Copy)
Call / Whatsapp : 7002054055
or
Shop at : AMAZON / FLIPKART

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़े

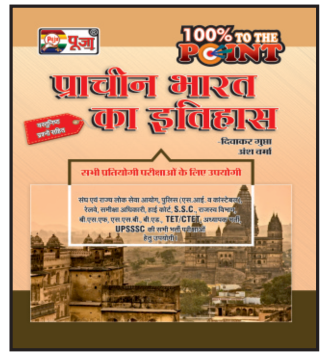

नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा–282003
दूरभाष : (0562) ऑफिस : 2527212, 9358515000
e-mail : contact@navjeevanprinters.in

like us for current updates & GK
facebook.com\pujabooks

9 789388 584098